न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या 134/2020
जी.सी..एम.एस.पोर्टल संख्या–2020/00171

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
रमेश चन्द पुत्र गिरधारी राम जाति जाट निवासी एंव उचित मूल्य दुकानदार माण्डल जोधां, तहसील डेगाना जिला नागौर (राजस्थान)		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री निम्बाराम काला।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) श्री रामजीवन बेनीवाल।

निर्णय **दिनांक–** 01/03/2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 31/2020 राजस्थान सरकार बनाम रमेशचन्द में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2020 के विरूद्ध यह अपील मय मयाद प्रार्थना पत्र पेश की है। अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने की जानकारी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 27.07.2020 को दी गई परन्तु निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा अन्य दस्तावेज की प्रतियां जिला रसद अधिकारी द्वारा नहीं दी गई जबकि अपीलार्थी एक से अधिक बार कार्यालय में उपस्थित हुआ कभी यह कहा कि फर्द तथा रिपोर्ट की प्रतियां नहीं दी जा सकती। अंत में दिनांक 10.08.2020 को अपीलार्थी ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 09.09.2020 को निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई गई परन्तु फर्द मौका एंव बयानों की प्रति नहीं दी गई एंव प्रार्थी से आर.टी.आई. में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। अपीलार्थी द्वारा आर.टी.आई. में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर फर्द मौका तथा बयानों की प्रति दिनांक 11.09.2020 को उपलब्ध कराई गई। जिला रसद कार्यालय मे कुछ कार्मिकों के कोरोनाग्रस्त होने के कारण दस्तावेजात देरी से दिये गये। उक्त दस्तावेज प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा कानूनी राय प्राप्त करने के पश्चात् न्यायालय हाजा में अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की है। आवेदन पत्र पेश करने में हुई देरी का कारण वाजिब व संतोषजनक है तथा देरी को माफ [illegible] जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदन पत्र पेश [illegible] देरी को माफ किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। उक्त संबंध [illegible] प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट की ओर श्री प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने [illegible] मियाद बाहर होने का कथन करते हुए मयाद प्रार्थना पत्र एवं अपील [illegible] खारिज करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ में किये गये कथनों पर विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का मैरिट पर निर्णय किया जाना उचित है।

3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत माण्डल जोधां तहसील डेगाना जिला नागौर में उचित मूल्य दुकानदार नियुक्त है तथा विधिवत् प्राधिकार पत्र प्राप्त कर गत वर्षो से उचित मूल्य दुकान का संचालन कर रहा है। प्रार्थी नियमानुसार राशन वस्तुओं का वितरण करता रहा है तथा वर्ष 2020 तक विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये गये एंव कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है।

3(1)—अपीलार्थी की उचित मूल्य का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 22.07.2020 को एक पक्षीय रूप से निरस्त कर दिया गया है तथा अपीलार्थी को निर्णय में वर्णित अनियमितताओं हेतु कोई भी कारण बताओ नोटिस निलम्बन से पूर्व नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। इस प्रकार विधि तथा न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों तथा राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड– (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच की सभी कार्यवाही दुर्भावना पूर्वक की गई है। अपीलार्थी को दुकान के निलम्बन होने की जानकारी दिनांक 13.04.2020 को हुई जब अन्य डीलर जिससे अपीलार्थी की दुकान समबद्ध की गई है, द्वारा दुकान का चार्ज प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया गया। जानकारी होने के तुरन्त बाद अपीलार्थी ने दुकान से संबंधित चार्ज संबंधित डीलर को संभलवा दिया तथा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर जिला रसद अधिकारी के एक पक्षीय निलम्बन आदेश को स्थगित किया गया एंव अपीलार्थी जब उक्त आदेश की पालना हेतु जिला रसद कार्यालय में गया तब उसको कारण बताओं नोटिस तथा निलम्बन आदेश की प्रति दी गई परन्तु अन्य कोई दस्तावेज नहीं दिये गये।

3(2)—मार्च 2020 में राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड महामारी फैलने के कारण उचित मूल्य दुकानों को उपभोक्ता का अंगूठा पोश मशीन पर लगवाने की प्रक्रिया बंद कर दी गई। माह मार्च 2020 में पी.ओ.एस. मशीन द्वारा अंगूठा स्वीकार नहीं किया जा रहा था बल्कि तीन ऑप्शन आ रहे थे, ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं हुआ/ मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड नहीं है/ मोबाईल पास में नहीं है। चूंकि उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं थी कि उनको अंगूठे के सत्यापन पर गेहूँ नहीं मिलेगा तथा मोबाईल दुकान पर ले जाना है इसलिए उपभोक्ता बिना मोबाईल के राशन सामग्री प्राप्त करने आये और उनका राशन कार्ड क्रमांक/आधार कार्ड क्रमांक मशीन पर डालकर संबंधित उपभोक्ता की गेहूँ मात्रा दर्शित होने पर उस मात्रा में गेहूँ उपभोक्ता को उपलब्ध करवाया गया। ऐसी स्थिति में काफी उपभोक्ताओं का ओ.टी.पी. क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ एंव बाईपास व्यवस्था के अन्तर्गत उनको गेहूँ दिया गया। माह मार्च 2020 में अपीलार्थी द्वारा वितरण किये गये समस्त गेहूँ की सूचना पी.ओ.एस. मशीन द्वारा संधारित डाटा में उपलब्ध है एंव किस–किस को कितना वितरण किया गया है उसका सम्पूर्ण डेटा जिला रसद कार्यालय एंव जांच अधिकारियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता था परन्तु उनके द्वारा यह प्रयास नहीं किया गया कि वास्तव में अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को भौतिक रूप से कितना, किसका गेहूँ वितरण किया है एंव कुछ उपभोक्ताओं के बयान लेकर ही यह मान लिया गया कि किसी को भी वितरण नियमानुसार नहीं किया है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा अप्रमाणित तथ्यों पर आधारित जांच दल की रिपोर्ट पर विश्वास कर लिया गया निर्णय निरस्त योग्य है।

3(3)—अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण कार्य दिनांक 03.04.2020 को किया गया तथा निरीक्षण प्रपत्र भरा गया। निरीक्षण के समय सभी वस्तुओं का स्टॉक भौतिक सत्यापन पर सही पाया गया तथा दुकान का प्राधिकार पत्र में वर्णित नक्शे अनुसार स्थान पर वितरण करना पाया गया जिसका विवरण फर्द मौका दिनांक 23.04.2020 में अंकित है। उक्त निरीक्षण के क्रम में जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2020 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया, बिना कारण बताओं नोटिस जारी किये दुकान

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

निलम्बित करने का कोई भी विधिक कारण एंव गंभीर अनियमितताओं का अंकन निलम्बन आदेश में नहीं है। दिनांक 05.04.2020 को ही कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना दर्शाया गया है जबकि अपीलार्थी को उक्त दोनो आदेशों की प्रतियां दिनांक 13.05.2020 को रसद लिपिक द्वारा कार्यालय में पहुंचने पर उपलब्ध कराई गई है। अन्य कोई फर्द/जांच रिपोर्ट/ट्रांजक्शन रिपोर्ट एंव अनियमितताओं का विस्तृत विवरण दर्शाते हुए रिपोर्ट, बयानों की प्रति आदि नहीं दी गई जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2020 को उक्त आदेशों को स्थगित किया गया है। इस प्रकार उतरदाता द्वारा प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई। रिकॉर्ड पर कोई भी गंभीर अनियमितताएं नहीं होने के बावजूद एक पक्षीय रूप से प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया तथा राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 (2) में कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने संबंधी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन कर न्याय के विपरीत अवैधानिक आदेश जारी किये गये। इन आदेशों का उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया और जब प्रार्थी उच्च न्यायालयों के आदेशों की पालना हेतु कार्यालय में गया तब उसको उक्त आदेशों की प्रति उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार विधि विरूद्ध कार्य किया गया है।

3(4)—जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 22.07.2020 जिसकी प्रतिलिपी प्रार्थी को दिनांक 09.09.2020 को काफी कठिनाई से उपलब्ध कराई गई है। नोटिस में वर्णित तथ्यों तथा लगाये गये आरोपो के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कारण बताओं नोटिस के क्रम में जवाब प्रस्तुत किया गया परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों पर स्वंय द्वारा मनन नहीं किया गया और न ही तथ्यों का मिलान, तथाकथित बयानकर्ता उपभोक्ताओं से किया गया बल्कि केवल जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित कर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है, जो निरस्त योग्य है।

3(5)—निर्णय तथा नोटिस में वर्णित आरोपों के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है— प्रथम आरोप में अपीलार्थी के विरूद्ध उचित मूल्य दुकान का संचालन प्रमाणित नक्शानुसार नहीं करने का है जबकि वास्तव में प्रार्थी द्वारा उसी स्थल पर वितरण कार्य किया जा रहा था जो उसके प्राधिकार पत्र में वर्णित है। इस तथ्य का अंकन जांच दल की फर्द मौका दिनांक 03.04.2020 को बनाई गई फर्द मौका में पंक्ति नं. 8 पर अंकित है तथा ''उ.मू.दू. का संचालन प्रमाणित नक्शा अनुसार सही पाया गया।'' इस प्रकार जिला रसद अधिकारी के निर्णय में इस आरोप को किस आधार पर प्रमाणित माना गया है इसका कोई विवरण नहीं है। प्रार्थी ने जवाब नोटिस में भी इस तथ्य का अंकन किया है कि वह प्रमाणित स्थान पर ही वितरण कर रहा है परन्तु उनके द्वारा इसे नहीं माना गया एंव गलत रूप से आरोप प्रमाणित माना गया है, जो आरोप निरस्त योग्य है। अन्य आरोप जांच के समय स्टॉक रजिस्टर संधारण नहीं करने का लगाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि स्टॉक रजिस्टर नियमित रूप से संधारित किया जाता है परन्तु भीड के कारण उक्त दुकान के स्थान पर घर की अलमारी में गत दिवस का यह रजिस्टर रख दिया गया था। अलमारी का ताला बन्द होने के कारण तुरन्त उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जांच दल अतिशीघ्रता में था क्योंकि उसी दिन उनको अन्य दो दुकानों पर जांच हेतु जाना था इसलिए उन्होने अलमारी की चाबी लाने का इंतजार नहीं किया। वर्ष 2016 में सितम्बर माह से आमद /वितरण संबंधी डेटा पी. ओ.एस.मशीन में संधारित किया जाता है एंव पी.ओ.एस. से जांच दल द्वारा जांच दिनांक में डेटा प्राप्त कर स्टॉक का सत्यापन किया जाता है। मौके पर जांच दल ने स्टॉक का सत्यापन किया और गेहूँ का स्टॉक मशीन में वर्णित अनुसार भौतिक सत्यापन पर सही पाया गया। इसलिए स्टॉक में क[illegible] नहीं था। जांच दल ने निरीक्षण प्रपत्र में भी इस संबंध में कोई भी अनियमि[illegible] नहीं की है। अतः यह तथ्य सही नहीं है कि स्टॉक रजिस्टर संधा[illegible] स्टॉक रजिस्टर की प्रति जिला रसद अधिकारी को कभी भी प्रस्तुत कर सकता था [illegible] उनके द्वारा रजिस्टर मंगाया ही नहीं गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

3(6)—अन्य आरोप वितरण रजिस्टर नियमानुसार संधारण नहीं करने का लगाया गया है। इस संबंध में निवेदन है कि सितम्बर 2016 से वितरण रजिस्टर किसी भी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित नहीं किये जा रहे है जबकि वितरण पोस मशीन से किया जा रहा था एंव आमद वितरण का समस्त डेटा पी.ओ.एस. में उपलब्ध रहता है एंव विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारियों द्वारा यह डेटा कभी भी निकालकर चैक किया जा सकता है। इसलिए वितरण रजिस्टर संधारित नहीं किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्णय में विभागीय आदेश दिनांक 18.03.2020 का उल्लेख किया है कि कोविड–19 महामारी के कारण बायोमैट्रिक के स्थान पर सभी उपभोक्ताओं को उनके मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. प्राप्त होने के पश्चात् ओ.टी.पी. नम्बर पोस मशीन में दर्ज कर वितरण करना था तथा अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में जिसमें तय समय में लाभार्थी को ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होने पर गेहूँ वितरण किया जाता है तो ऐसे ट्रांजक्शन की प्रविष्टि की जावेगी तथा ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होने के कारणों का अंकन वितरण रजिस्टर में किया जायेगा। इस संबंध में निवेदन है कि अपीलार्थी को विभागीय आदेश दिनांक 18.03.2020 की प्रतिलिपि आज तक कभी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस संबंध में अपीलार्थी को मार्च 2020 में जब पी.ओ.एस. मशीन द्वारा अंगूठा भौतिक सत्यापन हेतु स्वीकार नहीं किया जा रहा था तब तीन ऑप्शन आ रहे थे, उनमें से एक ऑप्शन का प्रयोग कर उपभोक्ता को राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वितरण रजिस्टर संधारण का कोई भी प्रपत्र अथवा आदेश अपीलार्थी को नहीं दिया गया इसलिए उक्त रजिस्टर संधारित नहीं किया गया। केवल कुछ सूचना पृथक से वितरण के समय याददाश्त हेतु एक कागज पर नोट की गई जिसमें उपभोक्ता का कुछ विवरण कि किसी कारण उसको गेहूँ दिया गया है, का विवरण दर्ज किया गया है। यह कागजात जांच दल को उपलब्ध करा दिये गये थे, इसलिए यह आरोप गलत है कि अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर वितरण रजिस्टर संधारित नहीं किया इसलिए आरोप निरस्त योग्य है।

3(7)—जांच दल द्वारा कुछ ग्रामवासियों के बयान प्रार्थी के दुकान से जाने के पश्चात् प्रार्थी की अनुपस्थिति के लिये गये जिनमें प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वितरण नहीं करने का आरोप लगाया गया है। यह तथ्य सही नहीं है। कुछ व्यक्ति राजनैतिक एंव निजी रंजिश वश प्रार्थी के विरूद्ध झूठा षड्यंत्र कर गलत बयानी कर रहे है जबकि उनमें से कुछ नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है। श्री बुद्धाराम पुत्र सिमरत राम को मार्च माह में पी.ओ.एस. मशीन द्वारा वितरण नहीं किया गया है, चैनाराम पुत्र कानाराम दुकान पर मार्च माह में राशन सामग्री लेने नहीं आया, ना ही उससे करीब 1 वर्ष पूर्व से सामग्री लेने आया, बक्साराम का राशन कार्ड नं. 00834342600408 खाद्य सुरक्षा में चयनित ही नहीं है, पूसाराम माह मार्च में दुकान पर गेहूँ लेने नहीं आया जबकि पूसाराम किसी अन्य उचित मूल्य दुकान से गेहूँ उठाता है, अनिता कंवर द्वारा जनवरी 2020 तक राशन सामग्री प्राप्त की गई है। फरवरी में वह स्वंय पीहर गई हुई थी उसका पति बाहर रहता है इसलिए वह राशन सामग्री लेने आई ही नहीं। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है कि जांच दल द्वारा उनसे यह कहा गया कि उनको राशन सामग्री चावल, साबुन आदि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा इसलिए उनके हस्ताक्षर करा लिये गये जबकि उनसे मासिक रूप से राशन सामग्री प्राप्त करने संबंधी कोई पूछताछ नहीं की गई इस संबंध में 17 उपभोक्ताओं के शपथ पत्रों की प्रतियां सलग्न है। जिला रसद अधिकारी द्वारा इस संबंध में उन तथाकथित बयानकर्ता उपभोक्ताओं को बुलाकर स्वंय न तो कोई सत्यापन किया गया और न ही अपीलार्थी को उन लोगो से प्रति प्रश्न करने हेतु अवसर दिया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा एक पक्षीय रूप से जांच दल द्वारा लिये गये बयानों [illegible] तथ्यों को सही मानकर आरोप को प्रमाणित मान लिया गया है जबकि यह जानने का प्रयास भी नहीं किया गया कि इन उपभोक्ताओं की पी.ओ.एस. मशीन मे वितरण द[illegible] गई स्थिति क्या है एंव पी.ओ.एस. मशीन में दर्ज वितरण राशन सामग्री वास्तव में उन्होंने प्राप्त की है कि नहीं उनको बुलाकर कोई पूछताछ नहीं की गई। जबकि उन सभी द्वारा राशन सामग्री नियमित रूप से प्राप्त करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

शपथ पत्रों में दर्शाया गया है। इसलिए यह आरोप पूर्ण रूप से अप्रामाणित है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध गलत रूप से प्रमाणित मानकर दण्डित किया गया है।

3(8)—अपीलार्थी के विरूद्ध अन्य आरोप लोगो के साथ अभद्र व्यवहार करना तथा अंगूठा लगवाकर राशन सामग्री नहीं देना तथा दुकान नियमित रूप से नहीं खोलने का लगाया गया है जबकि उपभोक्ताओं द्वारा अपने शपथ पत्रों में यह तथ्य अंकित किया गया है उनको नियमित रूप से राशन सामग्री मिलती है तथा डीलर का व्यवहार ठीक है कुछ व्यक्ति जो अपीलार्थी से राजनैतिक व सामाजिक कारणों वश द्वैषता एंव रंजिश रखते है उनके द्वारा यह गलत बयान दिये गये है उनके बयानों का सत्यापन जांच दल द्वारा पोस में दर्ज वितरण ट्रांजक्शन से नहीं किया गया है कुछ उपभोक्ता रंजिश वश सामग्री लेने ही नहीं आते बल्कि पोर्टेबलिटी लागू होने के बाद अन्य डीलर से राशन सामग्री प्राप्त कर रहे है उनके द्वारा भी असत्य बयान दिये गये है जिसकी सत्यता की जांच जिला रसद अधिकारी द्वारा स्वंय नहीं की गई है।

3(9)—माह मार्च 2020 में पी.ओ.एस. मशीन द्वारा मार्च के साथ–साथ अप्रेल का गेहूँ वितरण करने के कारण मशीन में ऑप्शन, उपभोक्ता का कार्ड क्रमांक दर्ज करने पर दर्शित हो रहा था तथा राशन कार्ड क्रमांक 1 एंव 2 दर्शाया जा रहा था इसलिए मार्च में कुछ उपभोक्ताओं को अप्रेल माह का वितरण पोस पर दर्शाए अनुसार किया गया है। यह गेहूँ वास्तव में उपभोक्ताओं को दिया गया है एंव किस उपभोक्ता को किस माह का गेहूँ नहीं मिला इसका कोई भी स्पष्ट विवरण न तो नोटिस में है और न ही निर्णय में है। यह तथ्य भी गलत रूप से अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं के कार्ड में राशन सामग्री का अंकन नहीं किया गया है। राशन कार्ड में राशन सामग्री का दिनांक एंव मात्रा वाईज अंकन है। इस संबंध में किसी भी राशन कार्ड की प्रति जांच दल द्वारा जांच रिपोर्ट में सलग्न नहीं की गई है और न ही अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है। इस प्रकार यह आरोप मनमाना एंव अप्रमाणित है एंव इस आधार पर विधि विरूद्ध रूप से दोषी ठहराया गया है।

3(10)—मशीन में रोल नहीं होने संबंधी अन्य आरोप लगाया गया है जबकि पोस मशीन का प्रिंटर खराब होने के कारण सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध डेगाना तहसील हेतु विभाग द्वारा नामित श्री जूबेर खान से मशीन ठीक करवाने हेतु सम्पर्क किया गया उसके द्वारा बताया गया कि जयपुर से मैकेनिक आने पर ही मशीन ठीक होगी। इस संबंध में स्थानीय निरीक्षक को भी जानकारी थी परन्तु अभी तक मशीन ठीक नहीं कराई गई है जबकि राज्य सरकार द्वारा डीलर से मशीनों के मेन्टनेंस का पैसा भी लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रिटंर खराब होने के कारण प्रिन्टर में रोल नहीं था। यह तथ्य सभी की जानकारी में है तथापित अपीलार्थी को दोषी मानकर प्रताडित किया गया है एंव आरोप सत्य नहीं है।

3(11)—अन्य आरोप दुकान पर मूल्य एंव स्टॉक सूची बोर्ड अपूर्ण पाये जाने का लगाया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा दुकान पर मूल्य व सूची बोर्ड लगाया गया था तथा वस्तुओ का स्टॉक एंव दर प्रदर्शित की गई थी नोटिस के जवाब में भी अपीलार्थी ने उक्त तथ्यों का अंकन किया है परन्तु मनमाने तरीके से आरोप प्रमाणित मान लिया गया है जांच दल द्वारा मौके पर बनाये गये निरीक्षण प्रपत्र में इस संबंध में कॉलम– 9 में कुछ भी नहीं दर्शाया है इस प्रकार यह आरोप प्रमाणित नहीं है तथा प्रार्थी के विरूद्ध गलत रूप से प्रमाणित मानकर दण्डित किया गया है।

3(12)—अपीलार्थी द्वारा मार्च 2020 में दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक पोस में दर्ज राशन कार्ड उपभोक्ताओं को कुछ [illegible] ओ.टी.पी. प्राप्त कर वितरण किया है एंव कुछ उपभोक्ताओं को उनके राशन कार्ड क्रमांक/आधार कार्ड क्रमांक को पोस में दर्ज कर उपभोक्ताओं के पास मोबाइल नहीं होने के कारण (क्योंकि उपभोक्ताओं को उस माह मोबाइल दुकान पर लाने संबंधी जानकारी नहीं थी) उनको विभाग के निर्देशानुसार कोविड–19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए गेहूँ का वितरण किया है। गेहूँ वितरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

संबंधी समस्त तथ्य पी.ओ.एस. में दर्ज समस्त डेटा को ट्रांजक्शन स्टेटमेंट निकाला जाकर विभाग द्वारा जांच की जा सकती थी एंव वास्तविक रूप से वितरण का सत्यापन किया जा सकता था परन्तु जिला रसद अधिकारी ने न तो पोस स्टेटमेंट निकालकर सत्यापन किया और न ही स्टेटमेंट में दर्ज विवरणानुसार उपभोक्ताओं से जानकारी की। केवल मात्र एकपक्षीय कुछ बयानों के आधार पर ही आरोप को प्रमाणित मान लिया गया। यहां तक की जिला रसद अधिकारी ने निर्णय के क्रमांक 5 में इस तथ्य का अंकन किया है कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अन्य उपभोक्ताओं के भी इसी प्रकार मार्च व अप्रेल 2020 का गेहूँ बिना ओ.टी.पी. उठाकर स्वंय के लिए दुरूपयोग किया है। इस तथ्य का कोई भी प्रमाण उनके निर्णय में अंकित नहीं है। वितरण रजिस्टर में ओ.टी.पी. क्रमांक दर्ज नहीं करना मात्र प्रक्रियागत गलती है। कानूनी गलती नहीं है। क्योंकि इसमें अपीलार्थी की कोई मेलाफाईड इन्टेंशन नहीं है। ओ.टी.पी. का विवरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करने से संबंधित उपभोक्ता को गेहूँ नहीं मिला यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। बल्कि उपभोक्ता का गेहूँ मिला इसका अंकन उसके कार्ड में है एंव उससे व्यक्तिगत रूप से भी सत्यापित किया जा सकता था जो नहीं किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी की कोई दुर्भावना नहीं रही है।

3(13)—प्रार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा प.सू.रि. क्र.सं. 0056 दिनांक 06.04.2020 को थाना पादूकलां में दर्ज करवाई गई है पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है एंव अधिकांश राशनकार्ड धारकों द्वारा नियमित रूप से राशन सामग्री प्राप्त करना अनुसंधान में बताया है एंव प्रकरण में आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण एफ.आर. लगाये जाने की संभावना है क्योकि रसद विभाग द्वारा स्वंय के स्तर से प्रकरण में वर्णित तथ्यों की कोई आगामी जांच नहीं की गई है पुलिस द्वारा ही अनुसंधान किया जा रहा है अनुसंधान में अपीलार्थी को आरोप मुक्त होने की आशा है।

3(14)—अपीलार्थी को उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने की जानकारी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 27.07.2020 को दी गई है परन्तु निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा अन्य दस्तावेज की प्रतियां जिला रसद कार्यालय द्वारा नहीं दी गई जबकि अपीलार्थी एक से अधिक बार कार्यालय में उपस्थित हुआ कभी यह कहा गया कि फर्द तथा रिपोर्ट की प्रतियां नहीं दी जा सकती। अंत में दिनांक 10.08.2020 को अपीलार्थी ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 09.09.2020 को निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई गई परन्तु फर्द मौका एंव बयानों की प्रति नहीं दी गई एंव प्रार्थी से आर.टी.आई. में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। अपीलार्थी द्वारा आर.टी.आई. में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर फर्द मौका तथा बयानों की प्रति दिनांक 11.09.2020 को उपलब्ध कराई गई, का कथन करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 22.07.2020 को अपास्त करने तथा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल करने का निवेदन किया।

4. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि, प्रकरण में उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार दिनांक 03.04.2020 को आदेशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री घासीराम नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट की उचित मुल्य दुकान का मौके पर दिनांक 03.04.2020 को निरीक्षण कर श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.04.2020 को अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान की जॉच में अपीलान्ट द्वारा बरतीगई अनियमितओं के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 05.04.2020 प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 31/2020 दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस दिनांक 05.04.2020 जारी [illegible] दिनांक 26.05.2020 को अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर [illegible] बताओं नोटिस का जबाब पेश किया। इसके बाद जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा [illegible] विभागीय प्रकरण संख्या 31/2020 में दिनांक 22.07.2020 को निर्णय [illegible] द्वारा जमा सुदा प्रतिभूति राशि 1000/– रूपये जब्त [illegible] अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

4(1)—अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि–प्रमाणित नक्शा अनुसार दुकान का संचालन नहीं करना पाया। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा जबाब में दुकान का संचालन प्रमाणित नक्शे के अनुसार ही करना बताया, परन्तु उक्त संबंध में जबाब के साथ कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं है। इसलिए उक्त आरोप अपीलान्ट के विरूद्ध सही रूप में प्रमाणित है।

4(2)—अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि–स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना नहीं पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में जबाब में बताया कि स्टॉक रजिस्टर घर की आलमारी में था आलमारी के ताला लगा होने के कारण एवं घरवाले घर पर मौजूद नहीं होने के कारण निरीक्षण अधिकारी को स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपने उक्त कथन के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से उक्त जबाब को स्वीकार नहीं किया है। अब अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर माह मार्च 2020 की प्रति पेश की है, उक्त रजिस्टर की प्रति अपीलान्ट जॉच के पश्चात जबाब के साथ अधिनस्थ न्यायालय में क्यों नहीं प्रस्तुत की, इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया है। अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव में बाद में तैयार कर प्रस्तुत की है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

4(3)—अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि—वक्त जॉच वितरण रजिस्टर का संधारण नियमानुसार नहीं किया जाना पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में अपने जवाब में पूर्व में राशन वितरण पोश मशीन में फिंगर प्रिन्ट से होता था। वितरण रजिस्टर का संघारण पूर्णतया बन्द था। विभाग द्वारा मुझे ऐसा कोई आदेश व किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी कि वितरण रजिस्टर का संघारण किया जाना अनिवार्य है। उक्त जबाब के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय में उल्लेख किया है कि विभाग के आदेश दिनांक 18.03.2020 में निर्देशित किया गया है कि कॉविड–19 महामारी के कारण बायोमैट्रिक के स्थान पर सभी उपभोक्ताओं के उनके मोबाईल नम्बर पर ओटीपी नम्बर प्राप्त होने के पश्चात ओटीपी नम्बर पोश मशीन में दर्ज कर वितरण करना था तथा अपवादस्वरूप कुछ मामलों में जिसमें तय समय में लाभार्थी को आटीपी प्राप्त नहीं होने पर गेहूँ का वितरण पोश मशीन से किया जायेगा व ऐसे सभी ट्राजेक्शनों की प्रविष्टि एक रजिस्टर में संधारित की जायेगी जिसमें ओटीपी प्राप्त नहीं होने के कारणों का अंकन वितरण रजिस्टर में किया जायेगा। परन्तु डीलर द्वारा नियमानुसार वितरण रजिस्टर का संधारण नहीं किया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलान्ट के उक्त जबाब को स्वीकार योग्य नहीं माना है। अपीलान्ट ने अपील में भी उक्तानुसार ही कथन किये है एवं वितरण रजिस्टर संधारण नहीं करने के संबंध में अन्य कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किये है। उक्त संबंध में प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा बहस जारी रखते हुए यह तर्क दिया कि अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं होना माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त संबंध में जिले में सभी उचित मूल्य दुकानदारों को सूचित किया गया था तथा विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा भी उक्त आदेश बाबत खबर का प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा जिले में अन्य उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा वितरण रजिस्टर का संधारण भी किया जा रहा है। इस प्रकार उपर्युक्त कथनों/तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार वितरण रजिस्टर का संधारण नहीं कर अनियमितता बरती है।

4(4)— अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि–ग्राम पंचायत के मजमे आम में जॉच दल ने ग्रामवासियों के बयान लिये। ग्रामवासियों ने संयुक्त बयान में बताया कि उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चन्द समय पर दुकान नहीं खोलता, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। उपभोक्ताओं से पोश मशीन में अंगूठा [illegible] सामग्री नही देता है पर्ची नहीं देता है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधि[illegible] न्या[illegible]लय में जबाब में उल्लेख किया है कि उपरोक्त आरोप गलत है उपभोक्ताओं से उसका [illegible] अच्छा है व खुश है। किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता है। कुछ [illegible] मात्र कि विवाद वाले व राजनैतिक व सामाजिक द्वैषता वाले [illegible] से कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोग अपीलान्ट के विरूद्ध षड़यन्त्र रच रहे है। उप[illegible]ता अंगूठा लगाकर बिना राशन सामग्री लिये ही वापस चला जाये यह काल्पनिक आरोप है। पोश मशीन का प्रिन्टर खराब होने की वजह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

से उपभोक्ताओं को पर्ची उपलब्ध नहीं होना बताया, परन्तु उक्त संबंध में जबाब में किये गये कथन, प्रिंटर खराब होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जबाब स्वीकार किये जाने योग्य नहीं माना। अपीलान्ट द्वारा अपील में उक्त आरोप के संबंध में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ 17 उपभोक्ताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया है कि उनको नियमित रूप से राशन सामग्री मिलती है तथा डीलर का व्यवहार ठीक है, कुछ व्यक्ति जो अपीलार्थी से राजनैतिक व सामाजिक कारणों वश द्वैषता एवं रंजिश रखते है उनके द्वारा यह गलत बयान दिये गये है, उनके बयानों का सत्यापन जॉच दल द्वारा पोस में दर्ज वितरण ट्रांजक्शन से नहीं किया गया है कुछ उपभोक्ता रंजिश वश सामग्री लेने ही नहीं आते बल्कि पोर्टेबलिटि लागू होने के बाद अन्य डीलर से राशन सामग्री प्राप्त कर रहे है उनके द्वारा भी असत्य बयान दिये गये है, जिसकी सत्यता की जॉच जिला रसद अधिकारी द्वारा स्वंय नहीं की गई है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ सुमन पुत्री परसाराम जाट, श्रवणराम पुत्र भारमल मेघवाल, पांचाराम पुत्र रामाकिशन जाट, जोराराम पुत्र रामसुख जाट, नीरसिंह पुत्र पाबुदानसिंह राजपूत, चन्दवीरसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह राजपूत, विजयसिंह पुत्र छीतरसिंह राजपूत, घमंडाराम पुत्र लालाराम मेघवाल, जीवणराम पुत्र कुनाराम मेघवाल, शंकरसिंह पुत्र नीरसिंह राजपूत, मांगूसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत, सचिन कुड़िया पुत्र बलदेवराम जाट, सुमन देवी पत्नी नेमाराम मेघवाल, पुखराज पुत्र किशनाराम मेघवाल, महावीरसिंह पुत्र रसालसिंह राजपूत, पप्पुराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल, कैलाश चंद पुत्र हरदीनराम जाट निवासीगण माण्डल जोधा तहसील डेगाना द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलान्ट से समय पर राशन सामग्री प्राप्त हो रही है, दुकान हर समय खुली रहती है, अपीलान्ट के व्यवहार से खुश एवं सन्तुष्ट होना आदि बताया गया है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में निर्णय जैर अपील दिनांक 22.07.2020 को पारित किया गया है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब, साक्ष्य, सबूत आदि का समुचित अवसर भी दिया गया था। इसलिए अपीलान्ट को उक्त शपथ पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए थे, जो तत्समय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किये इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त शपथ पत्र बाद में अपने बचाव हेतु सोच विचार कर पेश करवाया जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा अब अपील में नई साक्ष्य के रूप में यह शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

4(5)– अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि– मौके पर 28 उपभोक्ताओं ने पृथक से मूल राशन कार्ड पेश कर बयान दर्ज करवाये कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार द्वारा मार्च 20 का गेहूँ बिना ओटीपी उठा लिया एवं उन्हे नहीं दिया, अन्य उपभोक्ताओं के भी इसी प्रकार मार्च व अप्रेल 20 का गेहूँ बिना ओटीपी उठा कर स्वंय के लिए दुरूपयोग किया। मार्च 20 का गेहूँ बिना ओटीपी उठाने के संबंध में मूल राशनकार्ड एवं आनलाईन रिकार्ड के मिलान पर उक्त बयानों की पुष्टि होती है तथा अपीलान्ट द्वारा अन्य उपभोक्ताओं के भी इसी प्रकार मार्च व अप्रेल 20 का गेहूँ बिना ओटीपी उठाकर स्वंय के लिए दुरूपयोग किया है। अपीलान्ट का जबाब में कथन कि अप्रेल माह का वितरण का सिस्टम होने से मानवीय भूलवस कुछ उपभोक्ताओं का मार्च वितरण कि जगह अप्रेल माह का वितरण हो गया जिनको वापस बुलाकर मार्च माह की राशन सामग्री का वितरण किया, परन्तु अपीलान्ट द्वारा मार्च माह की राशन सामग्री के संबंध में [illegible] द्वारा राशन सामग्री प्राप्त करने का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है ना [illegible] बयान संलग्न है, ना ही उनके साक्ष्य पेश किये है जबकि इन उपभोक्ताओं द्वारा [illegible] में डीलर द्वारा ऑनलाईन दर्शाये गये गेहूँ का प्राप्त करने से इंकार किया एवं ना ही इनके राशन कार्डों में गेहूँ का इन्द्राज है। उपभोक्ताओं को मार्च की राशन सामग्री वितरण करने के संबंध में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

4(6)– अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि– पोश मशीन में रोल लगा हुआ नहीं पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब में प्रिन्टर खराब होने की वजह से पोश मशीन में रोल लगा हुआ नहीं था। अपीलान्ट द्वारा इस संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि पोश मशीन का प्रिन्टर खराब था।

4(7)– अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि– वक्त निरीक्षण मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड अपूर्ण पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब में वक्त निरीक्षण मुल्य व स्टॉक सूची बोर्ड पूर्णभरा हुआ होना बताया। परन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त संबंध में जबाब के साथ कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह साबित हो कि वक्त निरीक्षण मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड पूर्ण था, का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया प्रकरण में उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार दिनांक 03.04.2020 को आदेशानुसार श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री घासीराम नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट की उचित मुल्य दुकान का मौके पर दिनांक 03.04.2020 को निरीक्षण कर श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.04.2020 को अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान की जॉच में अपीलान्ट द्वारा बरतीगई अनियमितओं के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 05.04.2020 प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 31/2020 राजस्थान सरकार बनाम रमेशचन्द उ.मू.दु. दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस कमांक–396 दिनांक 05.04.2020 जारी किया। दिनांक 26.05.2020 को अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त कारण बताओं नोटिस का जबाब पेश किया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विभागीय प्रकरण संख्या 31/2020 राज0 सरकार बनाम श्री रमेशचन्द उ0मू0दु0 प्रकरण में दिनांक 22.07.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट द्वारा जमा सुदा प्रतिभूति राशि 1000/– रूपये जब्त बहक सरकार की जाकर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया।

5(1)–अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि–प्रमाणित नक्शा अनुसार दुकान का संचालन नहीं करना पाया। उक्त संबंध में फर्द मौका रिपोर्ट की पंक्ति संख्या–8 में स्पष्ट उल्लेख है कि उ0मू0 दुकान का संचालन प्रमाणित नक्शानुसार सही पाया गया। इसलिए उक्त आरोप को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप साबित माना है।

5(2)–अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि–स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना नहीं पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में जबाब में बताया कि स्टॉक रजिस्टर घर की आलमारी में था आलमारी के ताला लगा होने के कारण एवं घरवाले घर पर मौजूद नहीं होने के कारण निरीक्षण अधिकारी को स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया। अपीलान्ट द्वारा अपने उक्त कथन के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से उक्त जबाब को स्वीकार नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर माह मार्च 2020 की प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की है, उक्त रजिस्टर की प्रति अपीलान्ट जॉच के पश्चात जबाब के साथ भी प्रस्तुत की जा सकती थी, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अब अपील के साथ उक्त रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत करना सन्देहास्पद है। अपीलान्ट द्वारा अपील में किये गये कथनों से भी यह साबित नहीं है कि अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर का नियमित रूप से संधारण किया जा रहा था। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप सही रूप से प्रमाणित है।

5(3)–अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि–वक्त जॉच वितरण रजिस्टर का संधारण नियमानुसार नहीं किया जाना पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में अपने जबाब में पूर्व में राशन वितरण पोश मशीन में [illegible] ट से होता था। वितरण रजिस्टर का संघारण पूर्णतया बन्द था। विभाग द्वारा मुझे [illegible] कोई आदेश व किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी कि वितरण रजिस्टर का संधारण किया जाना अनिवार्य है। उक्त जबाब के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय में उल्लेख किया है कि विभाग के आदेश दिनांक 18.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

03.2020 में निर्देशित किया गया है कि कॉविड–19 महामारी के कारण बायोमैट्रिक के स्थान पर सभी उपभोक्ताओं के उनके मोबाईल नम्बर पर ओटीपी नम्बर प्राप्त होने के पश्चात ओटीपी नम्बर पोश मशीन में दर्ज कर वितरण करना था तथा अपवादस्वरूप कुछ मामलों में जिसमें तय समय में लाभार्थी को आटीपी प्राप्त नहीं होने पर गेहूँ का वितरण पोश मशीन से किया जायेगा व ऐसे सभी ट्राजेक्शनों की प्रविष्टि एक रजिस्टर में संधारित की जायेगी जिसमें ओटीपी प्राप्त नहीं होने के कारणों का अंकन वितरण रजिस्टर में किया जायेगा। परन्तु डीलर द्वारा नियमानुसार वितरण रजिस्टर का संधारण नहीं किया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलान्ट के उक्त जबाब को स्वीकार योग्य नहीं माना है। अपीलान्ट ने अपील में भी उक्तानुसार ही कथन किये है एवं वितरण रजिस्टर संधारण नहीं करने के संबंध में अन्य कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किये है। उक्त संबंध में प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा बहस में यह तर्क दिया कि अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं होना माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त संबंध में जिले में सभी उचित मूल्य दुकानदारों को सूचित किया गया था तथा विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा भी उक्त आदेश बाबत खबर का प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा जिले में अन्य उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा वितरण रजिस्टर का संधारण भी किया जा रहा है। इस प्रकार उपर्युक्त कथनों / तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार वितरण रजिस्टर का संधारण नहीं कर अनियमितता बरती है।

5(4)– अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि–ग्राम पंचायत के मजमे आम में जॉच दल ने ग्रामवासियों के बयान लिये। ग्रामवासियों ने संयुक्त बयान में बताया कि उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चन्द समय पर दुकान नहीं खोलता, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। उपभोक्ताओं से पोश मशीन में अंगूठा लगाकर राशन सामग्री नही देता है पर्ची नहीं देता है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब में उल्लेख किया है कि उपरोक्त आरोप गलत है। उपभोक्ताओं से उसका व्यवहार अच्छा है व खुश है। किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता है। कुछ लोग सींव माठ कि विवाद वाले व राजनैतिक व सामाजिक द्वैषता वाले लोग जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोग अपीलान्ट के विरूद्ध षड़यन्त्र रच रहे है। उपभोक्ता अंगूठा लगाकर बिना राशन सामग्री लिये ही वापस चला जाये यह काल्पनिक आरोप है। पोश मशीन का प्रिन्टर खराब होने की वजह से उपभोक्ताओं पर्ची उपलब्ध नहीं होना बताया, परन्तु उक्त संबंध में जबाब में किये गये कथनों प्रिंटर खराब होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जबाब स्वीकार किये जाने योग्य नहीं माना। अपीलान्ट द्वारा अपील में उक्त आरोप के संबंध में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ 17 उपभोक्ताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया है कि उनको नियमित रूप से राशन सामग्री मिलती है तथा डीलर का व्यवहार ठीक है, कुछ व्यक्ति जो अपीलार्थी से राजनैतिक व सामाजिक कारणों वश द्वैषता एवं रंजिश रखते है उनके द्वारा यह गलत बयान दिये गये है, उनके बयानों का सत्यापन जॉच दल द्वारा पोस में दर्ज वितरण ट्रांजक्शन से नहीं किया गया है कुछ उपभोक्ता रंजिश वश सामग्री लेने ही नहीं आते बल्कि पोर्टेबलिटि लागू होने के बाद अन्य डीलर से राशन सामग्री प्राप्त कर रहे है उनके द्वारा भी असत्य बयान दिये गये है, जिसकी सत्यता की जॉच जिला रसद अधिकारी द्वारा स्वंय नहीं की गई है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ सुमन पुत्री परसाराम जाट, श्रवणराम पुत्र भारमल मेघवाल, पांचाराम पुत्र रामाकिशन जाट, जोराराम पुत्र रामसुख जाट, नीरसिंह पुत्र बाबुदानसिंह [illegible] चन्दवीरसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह राजपूत, विजयसिंह पुत्र छीतरसिंह राजपूत, घमंडाराम पुत्र [illegible]राम मेघवाल, जीवणराम पुत्र कुनाराम मेघवाल, शंकरसिंह पुत्र नीरसिंह राजपूत, मागूसिंह [illegible] रामसिंह राजपूत, सचिन कुड़िया पुत्र बलदेवराम जाट, सुमन देवी पत्नी [illegible] पुत्र किशनाराम मेघवाल, महावीरसिंह पुत्र रसालसिंह राजपूत, [illegible] मंगलाराम मेघवाल, कैलाश चंद पुत्र हरदीनराम जाट निवासीगण माण्डल जोधा तहसील डेगाना द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

तथ्यों के अनुसार अपीलान्ट से समय पर राशन सामग्री प्राप्त हो रही है, दुकान हर समय खुली रहती है, अपीलान्ट के व्यवहार से खुश एवं सन्तुष्ठ होना आदि बताया गया है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में निर्णय जैर अपील दिनांक 22.07.2020 को पारित किया गया है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब, साक्ष्य, सबूत आदि का समुचित अवसर भी दिया गया था। इसलिए अपीलान्ट को उक्त शपथ पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए थे, जो तत्समय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किये इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त शपथ पत्र बाद में अपने बचाव हेतु सोच विचार कर पेश करवाया जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा अब अपील में नई साक्ष्य के रूप में यह शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5(5)— अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि– मौके पर 28 उपभोक्ताओं ने पृथक से मूल राशन कार्ड पेश कर बयान दर्ज करवाये कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार द्वारा मार्च 20 का गेहूँ बिना ओटीपी उठा लिया एवं उन्हे नहीं दिया, अन्य उपभोक्ताओं के भी इसी प्रकार मार्च व अप्रेल 20 का गेहूँ बिना ओटीपी उठा कर स्वंय के लिए दुरूपयोग किया। अधिनस्थ न्यायालय ने मार्च 20 का गेहूँ बिना ओटीपी उठाने के संबंध में मूल राशनकार्ड एवं आनलाईन रिकार्ड के मिलान पर उक्त बयानों की पुष्टि होना तथा एवं अपीलान्ट द्वारा अन्य उपभोक्ताओं के भी इसी प्रकार मार्च व अप्रेल 20 का गेहूँ बिना ओटीपी उठाकर स्वंय के लिए दुरूपयोग करना माना है। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में जबाब में बताया कि उपभोक्ताओं को उसके द्वारा गेहूँ का वितरण किया गया है। द्वेषता वाले लोग ही अपीलान्ट के विरूद्ध षड़यंत्र रच रहे है। उपभोक्ताओं को ओटीपी से सामग्री लेने की जानकारी नहीं थी इसलिए राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए मोबाईल साथ नहीं ला रहे थे। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को राशन का वितरण किया गया है। अप्रेल माह का गेहूँ वक्त निरीक्षण दौराने समय अपीलान्ट की दुकान पर सप्लाई नहीं पहूंची व ना ही अपीलान्ट ने अप्रेल माह का गेहूँ पोश मशीन से गलत सिस्टम रेगुलर राशन वितरण सिस्टम में आगे के माह कि यानि अप्रेल माह का वितरण का सिस्टम होने से मानवीय भूलवस कुछ उपभोक्ताओं का मार्च वितरण कि जगह अप्रेल माह का वितरण हो गया जिनको वापस बुलाकर मार्च माह की राशन सामग्री का वितरण किया अप्रेल माह में अपीलान्ट द्वारा एक भी इन्ट्री नहीं की गई है और अपीलान्ट ने किसी प्रकार का दुरूपयोग नहीं करने का कथन किया है। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील में उल्लेखित किया है कि मार्च माह की राशन सामग्री के संबंध में इन उपभोक्ताओं के स्वंय के द्वारा राशन सामग्री प्राप्त करने का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है ना ही उनके बयान संलग्न है, ना ही उनके साक्ष्य पेश किये है जबकि इन उपभोक्ताओं द्वारा दौराने जॉच अपने बयानों में डीलर द्वारा ऑनलाईन दर्शाये गये गेहूँ का प्राप्त करने से इंकार किया है एव ना ही इनके राशन कार्डो में गेहूँ का इन्द्राज है। उपभोक्ताओं के स्पष्ट बयानों के विपरित डीलर द्वारा लिखित तत्संबंधी तथ्य विश्वसनीय एवं स्वीकार योग्य नहीं मानते हुऐ आरोप डीलर के विरूद्ध प्रमाणित माना है। अपीलान्ट द्वारा अपील में भी उक्त संबंध में कोई उपभोक्ताओं को मार्च की राशन सामग्री वितरण करने के संबंध में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आरोप को उचित रूप से सही माना है।

5(6)— अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि– पोश मशीन में रोल लगा हुआ नहीं पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट [illegible] में प्रिन्टर खराब होने की वजह से पोश मशीन में रोल लगा हुआ नहीं [illegible] खराब होने से रोल लगाने का कोई औचित्य ही नहीं था। [illegible] जैर अपील में उल्लेखित अनुसार अप्रार्थी डीलर द्वारा इस संबंध में कोई सबूत [illegible] नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि पोश मशीन का प्रिन्टर खराब था। [illegible] पर अपीलान्ट के जबाब को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं माना। अपीलान्ट द्वारा अपील [illegible] भी उक्तानुसार प्रिन्टर खराब होने के संबंध

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए भी उक्त आरोप के संबंध में निर्णय जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5(7)– अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि– वक्त निरीक्षण मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड अपूर्ण पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जबाब में वक्त निरीक्षण मुल्य व स्टॉक सूची बोर्ड पूर्णभरा हुआ होना बताया। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में उक्त आरोप को सही माना है। उक्त संबंध में निरीक्षण प्रपत्र एवं फर्द मौका का अवलोकन किया जिसमें जॉच अधिकारी द्वारा कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि वक्त निरीक्षण मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड अपूर्ण पाया गया। निरीक्षण प्रपत्र के "बिन्दु संख्या–9 क्या मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन किया हुआ है–" इसमें जॉच अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप ही गलत है।

6–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। निर्णय जैर अपील अपीलान्ट के विरूद्ध, प्रमाणित नक्शा अनुसार दुकान का संचालन नहीं करने एवं वक्त निरीक्षण मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड अपूर्ण पाये जाने के आरोप साबित नहीं होने से उक्त आरोपों की हद तक निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाता है। अपीलान्ट के विरूद्ध अन्य आरोप साबित पाये जाने से शेष निर्णय जैर अपील को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7–निर्णय सुनाया गया।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested